Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 3 ~ Issue 7 (2015) pp.: 70-75
ISSN(Online) : 2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

नगरीकरण के कारण महिलाओं की बदलती प्रस्थिति

मेजर राज कमल दीक्षित,
प्राचार्य, सेठ फूल चन्द बागला कालेज, हाथरस।

आज वर्तमान समय में जहां एक ओर नगरीकरण बढ़ रहा है जिसके परिणाम स्वरूप समाज के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है वहीं महिलाओं की प्रस्थित में भी अनेक परिर्वतन हुए हैं। पहले की अपेक्षा महिलाऐं सशक्त हो रही हैं। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर महिलाओं का अस्तित्व खतरे में है नारी की उत्पीड़न की समस्या दिन प्रतिदिन घटने के बजाय बढ़ रही है जहाँ एक ओर विश्व पटल पर महिलाएँ झंडे गाड़ रही हैं वहीं दूसरी ओर उन आम महिलाओं का क्या ? कहाँ दिखता है सशक्तिकरण आज भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा कम होने के बजाय और बढ़ रही है। कभी पति के द्वारा, कभी पिता के द्वारा, कभी अतंरग साथी द्वारा, कभी अनजान व्यक्ति द्वारा आज स्थिति यह है कि नारी के नाम पर न ही बच्ची सुरक्षित है, न ही वयस्क और न ही वृद्ध शहरी क्षेत्र हो ग्रामीण आज जब हम आधुनिकता की ओर दिन प्रतिदिन आगे कदम बढ़ा रहे हैं तब महिलाओं की अस्मिता खतरे में क्यों आखिर इतनी भयावह स्थिति जो समाज में दिख रही है वह क्यों ? इतनी योजनाओं के फलीभूत होने के बावजूद आज भी जागरूकता की बहुत कमी है। आवश्यकता है उन महिलाओं के सशक्त होने की जिन्हें आज भी पुरूषवादी सोच आगे बढ़ना तो दूर उन्हें समानता की स्वतंत्रता भी नहीं देना चाहती। जो आज भी नारी को सम्मान देना तो दूर उसकी अस्मिता को हर क्षण खतरे में डालने से नहीं कतराते।

स्त्री की अस्मिता का संघर्ष दोहरे स्तरों पर है, समाज में ये स्वीकार्यता महत्वपूर्ण है कि ये महिला सशक्त है उसके लिए बस इतना काफी है ? क्योंकि अस्मिता का संघर्ष केवल अपने होने, अपनी शक्ति की पहचान करने मात्र से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये संघर्ष और विकास दोनों का मुद्दा है। आज भी जो महिला स्वयं अपने पैरों पर खड़ी है, मेहनत करती है, अच्छी नौकरी करती है उसे अपनी ही कमाई खर्च करने की इजाजत पति की नहीं है तब कहां है वो महिला सशक्त जहाँ महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा में कमी आनी चाहिए थी वहीं 3 मिनट में एक नारी काल के ग्रास में जा रही है।

आए दिन अखबारों में जहां एक ओर किसी नारी द्वारा उसकी उपलब्धि की खबर छपी होती है वहीं दूसरे पृष्ठ पर किसी महिला या बच्ची के उत्पीड़न की खबर छपी होती है। और दर्द इस बात का की हमारा समाज सक्षम महिला को याद रखता है और पीड़ित महिला की बेबसी पर उसे ही दोषी ठहरा कर भूल जाता है इन बेबस महिलाओं की स्थिति पर अगर हम आप नहीं देंगे जो समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है तो फिर ये बेचारी किससे उम्मीद करें ये कभी सोचा हर दिन कितनी महिलाएं हिंसा का शिकार होती हैं। और तो और छोटी –छोटी बच्चियां इन दरिंदों की घटिया मानसिकता का शिकार हो जाती हैं। और तो और महिलाएं ही नारी अस्मिता को तार–तार करने में पीछे नहीं हैं।
राम रहीम का जीवन्त उदा0 सबके सामने है वहां अन्ध भक्त जनता उन लड़कियों मां जबरदस्ती उसके पास भेजती थी। जब मां जो नारी की जन्मदाता होती है वो इस कलयुगी संकीर्ण सोच की शिकार है तो हम किसी आम इन्सान से क्या उम्मीद कर सकते है।

जब पढ़–लिखे उच्च पद आसीन लोग संकीर्ण मानसिकता के शिकार हैं तो हम अनपढ़ों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। पिछले माह बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की घटना इस का प्रत्यक्ष उदाहरण है जब कुछ छात्राओं द्वारा अपने साथ हुई छेड़खानी, अभद्रतता की षिकायत प्राक्टर से की तो उन्होंने उन लड़कों को सजा देने के बजाय छात्राओं को उल्टा डांटते हुए बोले कि तुम लोंगों के यही संस्कार हैं कि इतनी घटिया बात की शिकायत लेकर यहां चली आई।

कुलपति ने भी उन्हें ही दोषी ठहरा दिया यह कह कर भगा दिया कि तुम लोग 6 बजे के बाद बाहर निकलीं क्यों इस कार्यवाई के खिलाफ जब छात्राएं धरने पर बैठीं तो उन पर लाठी चार्ज करवाई गई अभद्रता देखिए कि महिला छात्रावास में महिला पुलिस का प्रयोग नहीं किया गया। जबकि पुलिस कमिशनर की जांच रिपोर्ट में प्राक्टर दोषी पाया गया और उन छात्राओं की शिकायत सही थी। जब बुद्धिजीवी लोग इस तरह शोषण और हिंसा का विरोध करने के बजाय उसमें शामिल खड़े मिलते है तो कैसे होंगी महिलाऐं सशक्त हम 5 प्रतिशत सशक्त महिलाओं को देखकर खुश हो रहे हैं।

"इण्डिया न्यूज"

पति द्वारा हिंसा, अपहरण पति द्वारा क्रूरता सहित महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराध 2016 में 2.9 प्रतिशत मामले दर्ज हुए 2016 में कुल 38,947 रेप के केस दर्ज हुए थे। जो 2015 में 34,651 थे। ये आंकड़ा समाज के सोये लोगों की आत्मा को झकझोरने के लिए काफी है परन्तु किसी को इनकी बेबसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2016 दिल्ली

के बाद लखनऊ उ0प्र0 का पहला शहर महिलाओं के विरूद्ध हो रही हिंसा में शुमार हो चुका है इन आंकड़ों को देखकर स्थिति अत्यन्त भयातह प्रतीत हो रही है।

NCRB

विडम्बना यह है कि अपराधों पर रोक लगाने के लिए हमारी पुलिस व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जब विभागी लोग इस प्रकार के अपराधों में लिप्त पाये जाते हैं जो निश्पक्षता को तार– तार करने में गर्व महसूस करते हैं। महिलाओ के उपलब्धि के आंकड़े तो महत्वपूर्ण हैं। पर उससे ज्यादा प्रभावित करने वाले आंकड़े उनके प्रति हो रही हिंसा के है। इसके लिए केवल पुलिस या सरकार की जिम्मेदारी ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि हमारे समाज, समुदाय का भी कर्तव्य है कि इसे रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभएं। ***मेरा अध्ययन उ0 प्र0 एवं विषेष रूप से लखनऊ की केस स्टडीज़ के माध्यम से इस विषय पर समकालीन स्थिति का विष्लेषण करने का प्रयास है।***

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कुल मामलों में से 14.5% दर्ज किया गया, यह कुल बलात्कार के मामलों में 12.4% है, एनसीआरबी डेटा दिखाता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साइबर अपराध के मामलों में 21.4%,

लखनऊ जिले के पी.जी.आई के पास मार्टिना नाम की महिला को उसके पिता तथा दो भाइयों द्वारा गोली मार कर हत्या का दी गई। उस महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने प्रेम विवाह किया था।

नव भारत टाइमस

लखनऊ के आलमबाग विराट नगर में एक दो छोटे–छोटे बच्चों के सामने उनकी मां को केक में जहर खिलाकर मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसकी दूसरी पत्नि थी।

सहभागी अवलोकन

लखनऊ के पकरी पुल आलगबाग में 4 घंट की नवजात बच्ची को मरने के लिए नहर के किनारे फेक दिया गया राहगीरों ने उसे उठाकर असपताल पहुंचाया।

दैनिक जागरण

लखनऊ के ऐशबाग में एक दिन की बच्ची को सड़क पर फेक दिया गया उसे एक गरीब महिला ने एक महीने तक पाला फिर चाइल्ड लाइन को सौंप दिया।

हिन्दुस्तान

लखनऊ के मलिहाबाद की एक महिला जांच हेतु अस्पताल आती है। उसकी खून जांच से पता चला कि उसके शरीर में हीमोग्लोबीन मात्र 8.69% निकला और 6ठी बार गर्भवती थी। उसके 5 बेटियां एक बेटा था मेरे द्वारा पूछे जोने पर उसने रोकर बताया कि हम मजबूर हैं मेरे घर वालों को और बेटे की चाहत है इसलिए बच्चा पैदा करने से मना करने पर मारपीट करते मेरी बेटियों को बहुत मारा जाता है उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूं। उसकी सास जो उसके साथ आई थी उसे बुलाकर कहा आप की बहु की हालत ठीक नहीं ये बच्चा गिरवादो वरना इसकी जान को खतरा है वो बोली मर गई तो बेटे की दूसरी शादी कर लेंगे वैसे जब ये बच्चा नही जन सकती तो किस काम की पेड़ जितने फल दें झोली फैलाकर लेना चाहिए। हमारी जायदाद कौन सम्भालेगा इसके लिए बेटा चाहिए।

सहभागी अवलोकन

लखनऊ के आजाद नगर में एक किशोरी को उसका पिता बंधक बना पिछले 4 सालों से उसके साथ रेप कर रहा इस दौरान वो लड़की 3 बार गर्भवती हुई। किसी तरह अपने भाई की मदद से वो लडकी कानून की शरण में पहुंची और नीचता की हद तो तब़ हुई जब उसने ये बताया कि इस सब उसकी मां शामिल थी वो उसे जबरजस्ती उसके पिता के ये कह कर भेजती थी कि तुम्हारे पापा पर भूत का साया है जो ये सब करवाता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम सब जिंदा नहीं बचेंगे। वो व्यक्ति रेलवे कर्मचारी था आज जेल में है।

सहभागी अवलोकन

लखनऊ के सरोजनी में दरिंदगी देखिए एक कैंसर पीड़ित नाबालिग किशोरी को 6 लोग अगवा कर खंडर में ले जाकर उसके साथ गैंग रेप किया और छोड़कर भाग निकले जब वो लड़की वहां से मदद के लिए सड़क पर आई तो एक राहगीर ने उसकी मदद का आश्वासन देकर उसने भी उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। आज वो लड़की अपनी जिंदगी मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रही है।

हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण

लखनऊ सरोजनी में एटीएस प्रशिक्षण केन्द्र के पीछे किशोरी का रेप कर धार दार हथियार से उसकी हत्या कर दी और उसे नहर में फेक दिया।

हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण

लखनऊ के आशियाना में एक पिता ने अपनी सात साल की बेटी के साथ रेप करने का प्रयास किया उस बच्ची की मां ने उसे रंगे हांथों पकड़ा वो पहले भी अपने किरायेदार की बेटी के बलात्कार के जुर्म में जेल जा चुका है। जब उस महिला ने अपनी सास से ये बात कही तो उसकी सास ने उसे जायदाद से बेदखल करने की धमकी देकर चुप रहने को कहा।

हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण

लखनऊ के अलीगंज में परीक्षा देने जो रही एक महिला को शोहदों ने आटो रिक्शा से अगवा करने की कोशश की और उसे 100 मी. तक रोड पर घसीटते रहे आटो वाले की मदद से वो लड़की खुद किसी तरह से बचा पाई।

''इण्डिया न्यूज''

2012 के बाद **2016** में सबसे ज्यादा केस रेप के दर्ज हुए हैं।

सामूहिक बलात्कार के केस

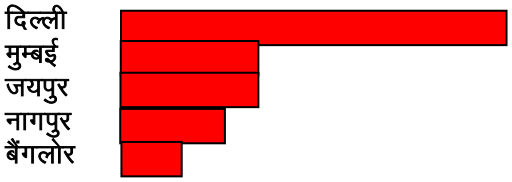

81.9%
19 शहरों की कुल केस रिपोर्ट

दहेज की मृत्यु

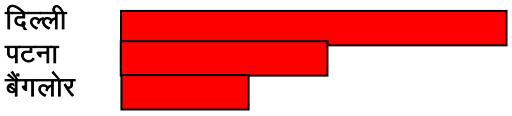

54.7%
19 शहरों की कुल केस रिपोर्ट

बलात्कार के कस

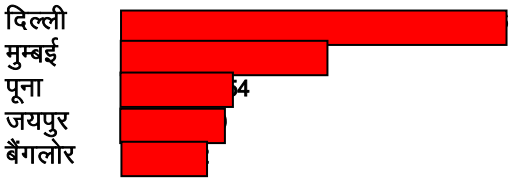

75.2%
19 शहरों की कुल केस रिपोर्ट

पीछा करने क

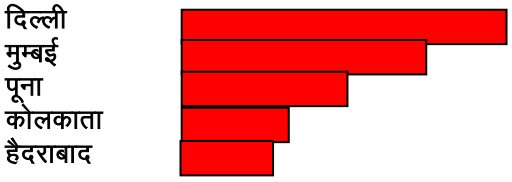

83%
19 शहरों की कुल केस रिपोर्ट

महिलाओं के अपहरण के मामले में उन्हे

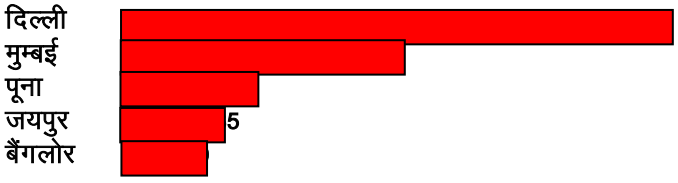

85.9%
19 शहरों की कुल केस रिपोर्ट

पिछलें 2–3 सालों में भारत नें बलात्कार के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनाई हैं। आखिर कब तक सहेंगी महिलाऐं जुर्म क्या इस देश में महिलाओं का कोई स्थान नहीं क्यों आज की आधुनिक पीढ़ी अपनी सोच नहीं बदलती महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि महिलाएं इस सदी में महफूज नहीं हैं। आये दिन महिलाओं पर होने वाले अपराधों में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। जिसमें कि सबसे ज्यादा मामले दुष्कर्म के हैं। दिल्ली में घटित हुए निर्भया कांड ने भारत समेत पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। उस घटना के बाद जिस तरह देश एकजुट होकर न्याय के लिए खड़ा हो गया था उस उस समय ऐसा लगा कि जैसे इस तरह के अपराधों का खात्मा हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि और बढ़ोत्तरी होती जा रही है। इन अपराधों में किस तरह रोक लगाई जाये। ऐसे में यह लगता है कि इन अपराधों को रोकने का एक ही उपाय है कि हमें महिलाओं के प्रति अपनी सोच को

बदलना होगा और उन्हें समाज में बराबर का हक मिलना चाहिए। लड़कियों को जींस नहीं पहननी चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए और जल्दी घर आ जाना चाहिए। इन्हीं कारणों से उनके साथ दुष्कर्म होता है। मैं पूछती हूं कि क्या लड़कियों को इन सब की आजादी नहीं है लड़कियों के साथ दुष्कर्म होना उनकी दैनिक दिनचर्या नहीं बल्कि हमारी छोटी सोच इसके लिए जिम्मेदार है। सिर्फ दुष्कर्म ही नहीं बल्कि लिंगानुपात का घटना भी महिलाओं के लिए किसी अपराध से कम नहीं है। हरियाणा उत्तर प्रदेश समेत देश के कई प्रमुख राज्यों में लिंगानुपात बहुत बडी समस्या है इससे हम और आप यही कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन भारत में महिलाओं की दयनीय स्थिति हो जाएगी।

''महिलाओं के विरूद्ध हिंसा मानवाधिकारों के उल्लंघन और महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव का एक रूप माना जाता है और इसका मतलब लिंग–आधारित हिंसा के सभी कृत्यों का परिणाम है, या शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक हानि या दुख में होने की संभावना है महिलाओं के लिए, ऐसे कृत्यों के लिए धमकियां, जबरन या स्वतंत्रता की मनमानी से वंचित, चाहे वह सार्वजनिक या निजी जीवन में, इसके अलावा लिंग–आधारित हिंसा शब्द महिलाओं को शारीरिक रूप से, यौन या मनोवैज्ञानिक रूप से हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा, परिवार या घरेलू इकाई में होने वाली हिंसा, अन्य बातों के साथ, शारीरिक और मानसिक आक्रामकता, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दुरूपयोग, बलात्कार और यौन उत्पीड़न, व्यभिचार, पत्नी या पत्नी के बीच नियमित या सामयिक सहयोगी और सहानुभूति, सम्मान के नाम पर किए गए अपराध, महिलाओं के लिए जननांग और यौन उत्पीडन और अन्य पांरपरिक प्रथाएं समाज को अपंग बना रही हैं।''

G.C Singhvi, "An Indian social welfare service"' Social Defence,

समाज पर प्रभाव

''स्वास्थ्य और मानव अधिकार जर्नल में एक लेख के मुताबिक कई नारीवादी कार्यकर्ता संगठनों की वकालत और भागीदारी के बावजूद महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा अब भी दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के सबसे व्यापक रूपों में से एक बना हुआ है। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा जीवन के दोनों सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में और उनके जीवन काल के किसी भी समय हो सकती है। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा अक्सर महिलाओं को अपने समुदायों के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास में पर्ण रूप से योगदान दे रही है।''

हिंसा स्वास्थ्य समस्याओं के दायरे में भी फैल सकती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की एक सी चिंता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है कि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर एक अनुचित बोझ डालती है।''

"Burden, O., "Community policing", national fraternal order of police journal, fall/ winter (1992): 31-35

2016 के आकड़ो के मुताबिक महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली के बाद लखनऊ सबसे ज्यादा असुरक्षित शहरों के लिस्ट में शामिल हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता मधु गर्ग ने बताया, '' क्योंकि लखनऊ राजधानी है, दबाव समूहों के कारण मामलों को पंजीकृत किया जाता है कुछ अपराध रिकार्ड में परिलक्षित होता – लेकिन अन्य शहरों में, इससे भी बुरा हाल है।एक ओर जहां महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। वो चांद पर पहुंच गई, रेल चलाना, जहाज चलाना, हथियार चलाना, आर्मी, लड़ाकू विमान चलाना, या फिर खेल में महिलाओं ने ओलम्पिक तक में देश का प्रतिनिधित्व किया है परन्तु ये सब इतनी उपलब्धि के बाद भी आम महिलाओं के लिए उदाहरण मात्र बन कर रह जाती हैं।

आज भी समाज की दकियानूसी सोच की शिकार महिलाएं अपना अस्तित्व नहीं तलाश पा रहीं और न ही अपनी अस्मिता की रक्षा कर पा रहीं हैं। और हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग आंकड़े देखकर खुश हो जाते हैं कि हमारे देश की महिलाएं सशक्त हो गई है। उन महिलाओं के बीच में जाकर देखने पर पता चलता है कि उन्हें सशक्तिकरण का मतलब भी नहीं पता होता अपने अधिकारों के लिए लड़ना तो दूर उन्हें अपने अधिकार ही नहीं पता हैं। इसके लिए परिवार, समुदाय तथा पुलिस सभी को कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए। मुठ्ठी भर पुलिस किस प्रकार जनसमुदाय में छिपे अपराधियों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है इसके पीछे के कारणों पर विचार करने पर निम्न कारण दृष्टिगोचर होते हैं।

– पुलिस व अपराधी दोनों सामाजिक प्राणी होते हैं। –

अपराधी भी सामुदायिक प्राणी है

– समुदाय के संस्कार व आचरण लोगों की दशा व दिशा निर्धारित करते हैं।

– अपराधियों के सामाजिक सम्बन्ध होते हैं। जिनसे उन्हें शरण मिलती है।

– सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप पुलिस की कार्यशैली में परिर्वतन नहीं हुआ है

– पुलिस समाज विरोधी शरारती तथा अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों से शक्ति से नहीं निपटती है। बल्कि उन्हें संरक्षण देती है।

– पुलिस की निष्पक्षता, न्यायप्रियता एवं कानूनी प्रशासन के प्रति जनता की कोई आस्था नहीं है।

– पुलिस एक शक्ति के रूप में नजर आती है जनता की सेवक या रक्षा करने वाले बल के रूप में नहीं।

– पुलिस षिकायतकर्ता के प्रति उदासीन रहती है पुलिसजनों का व्यवहार आम जनता के प्रति काफी खराब रहता है।

– सामुदायिक पुलिसिंग के लिए पुलिस का आचरण समुदाय में अच्छा एवं सकारात्मक होना चाहिए।

– पुलिस व समुदाय का सम्बन्ध जब तक सकारात्मक नहीं होगा तब तक इस प्रकार अपराध में नियंत्रण सम्भव नही है।

न्यायमूर्ति K.T Thamas आयोग केरल सरकार द्वारा नियुक्त पुलिस सुधार के लिए सुझाव है 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिफारिश की है कि सरकार एक प्रायोगिक आधार पर सामुदायिक पुलिस को लागू करना चाहिए। सामुदायिक पुलिसिंग 2013 में उ0प्र0 में लागू हो चुकी है।

अतः हम कह सकते है कि महिला सशक्तिकरण एक सर्वाच्च माध्यम है उन्हें सशक्त बनाने का बिना इसके महिलाओं की स्थिति सुधार आ पाना असम्भव है। आज आवश्यकता है जमीनी पृष्ठभूमि पर उन आम महिलाओं की दयनीय परिस्थिति के बारे में सोचने की, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की, उन्हें शिक्षित बनाने हेतु आवयश्क कदम उठाने की, ज्यादा से ज्यादा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की, उन्हें समाज में समानता का अधिकार देने की।
सबसे महत्वपूर्ण यह है कि समाज के द्वारा केवल लड़कियो बंदिशें लगाने के बजाय लड़कों को उनकी संस्कृति, मूल्यों, आदर्शों तथा संस्कारों से परिचित कराने की जिससे वो नैतिकता और अनैतिकता के बीच फर्क को जान सकें। और समाज को संकीर्ण कुण्ठित सोच में परिर्वतन लाने की तब होंगी महिलाऐं सशक्त। तब समाज की तस्वीर बदलेगी और महिलाओं की परिस्थिति में परिवर्तन अवश्यम्भावी है। हमारे समाज में दिखने वाली आधुनिकता नगरीकरण का परिणाम है। तब इन महिलाओं की अस्मिता में मंडराता खतरा कम होना चाहिए।

सन्दर्भ सूचि–:

[1]. Bertus, Ferreira. The use and effectiveness of community polishing in a democracy. Prod- National institute of justice. Washington,D.C,, 1996
[2]. Bobinsky, Robert, "Reflections on community-oriented policing", FBI Law Enforcement bulletin, (mar). (1994) 15-19
[3]. Burden, O., "Community policing", national fraternal order of police journal, fall/ winter (1992): 31-35 Trajanowicz, Robert C; bucqueroux, bonnie (1990). Community Policing: A contemporary perspective. Ander- son. Retrieved 14 nov 2015.
[4]. police karmi ek nagrik hai (Drastikhorn prakashan) Faukhabad
[5]. u.p1992.- V.K SHAKHAR
[6]. G.C Singhvi, "An Indian social welfare service"' Social Defence, JANAMAITHRI SHURAKSHA PROJECT KERLA- by- N.P Singh Addl. SP
[7]. Hindustan
[8]. Dainik jagran
[9]. Nav Bhart Times
[10]. India News
[11]. NCRB Deta
[12]. Self study